रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक – **14** दिनांक **30.07.2025**)

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्यो के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों एंव "अ" वर्ग श्रेणी के विद्युत ठेकेदार से निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र "ब" में आयटम दर पर नीचे उल्लेखित कार्य के लिये दिनांक **08.08.2025** को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओ के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट https://rda.cgstate.gov.in/ में देखा जा सकता है।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5
1.	प्राधिकरण की कौशल्या माता विहार योजनांतर्गत विभिन्न सेक्टरों में बिछाए गए क्षतिग्रस्त केबलों का सुधार कार्य बाबत्।	रू. 16.00 लाख	रू. 32,000/–	वार्षिकी

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.शा.) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक **07.08.2025** को दोपहर 1.30 बजे तक रू. 2000/– नगद राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक **08.08.2025** को 1.30 बजे तक एफ.डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

(1) निर्धारित श्रेणीयों का वैध पंजीयन। (2) आयकर के पेनकार्ड की प्रति जमा करना (3) गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (4) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र (5) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा रू. 3.00 लाख का अधिप्रमाणित शोध क्षमता प्रमाण–पत्र। (6) "अ" वर्ग श्रेणी का विद्युत ठेकेदार का लाईसेंस।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तो के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोंपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

कार्यपालन अभियंता (वि./यां.)
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

N.I.T.2012